न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 3/5/2025 दायर दिनांकः–17/04/2025

जीसीएमएस नं0:– 2023/630 निर्णय दिनांकः–22/12/2025

बउनवान

1. नरेन्द्रसिंह उर्फ बन्टू पुत्र गिर्राजसिंह जाति राजपूत निवासी बहतू कलॉ तहसील कठूमर जिला अलवर।

——प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहव कठूमर जिला अलवर

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा–1956

उपस्थितिः–1.श्री देवेन्द्रसिंह नरूका अधिवक्ता प्रार्थी
2.तहसीलदार कठूमर पैरोकार अप्रार्थी

–::निर्णय::–

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 81 227, 228, 79/726, 87/729, 155, 156, 159, 198, 441, 451, 476, 491, 501, 512, 541, 556, 160, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 463, 167, 168, 168, 197, 201, 202, 492, 82, 83, ग्राम बहतूकलॉ तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी प्रार्थी के पिता की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। प्रार्थी के पिता कि फौत हो जाने के उपरान्त विरासत इन्तकाल में प्रार्थी का बोलता नाम बन्टू पुत्र गिर्राज सिहं राजस्व रेकॉर्ड मे अंकित कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम नरेन्द्रसिंह उर्फ बन्टू पुत्र गिर्राज सिह जाति राजपूत है प्रार्थीया के आधार कार्ड अन्य पहचान के दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम रामखिलाडी पुत्र कजोडी दर्ज है। उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम बन्टू पुत्र गिर्राज सिह दर्ज रहने से प्रार्थी के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है।प्रार्थी उक्त आराजी पर अपना नाम बन्टू पुत्र गिर्राज सिह स्थान

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अल... ...)

पर नरेन्द्र उर्फ बन्टू पुत्र गिर्राज दर्ज कराना चाहते है। प्राथी ने अप्रार्थी से राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी वावत बन्टू पुत्र गिर्राज सिह ना होकर नरेन्द्र उर्फ बन्टू पुत्र गिर्राज दुरूस्त कराने को कहा तो उसने साफ इन्कार कर दिया। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में बन्टू पुत्र गिर्रार्ज से नरेन्द्र उर्फ बन्टू पुत्र गिर्राज दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिय नोटिस तलब किया गया। दिनाक 28.10.2025 को अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की ताइद में जमाबन्दी हाल वाके ग्राम बहतूकलॉ नकल इन्तकाल छायाप्रति जनआधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचानपत्र, आधारकार्ड, की छाया प्रति पेश की की है जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन कार्यालय ग्राम पंचायत बहतूकलॉ का प्रमाण पत्र दिनांक 28.11.2025 पेश किया है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का नाम बन्टू पुत्र गिर्राज ना होकर नरेन्द्र उर्फ बन्टू पुत्र गिर्राज है जिसकी ताइद प्राथी द्वारा पेश किये गये राजस्व रेकार्ड पत्रादि से होती है। ऐसी दुरूस्ती से राज्य हित प्रभावित नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया का नाम उक्त आराजी से बन्टू पुत्र गिर्राज के स्थान पर नरेन्द्र उर्फ बन्टू पुत्र गिर्राज दुरूस्त किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि व ग्राम पंचायत बहतूकलॉ के प्रमाण पत्र का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन करने पर यह पाया गया कि पहचान के दस्तावेजात में नरेन्द्र उर्फ बन्टू पुत्र गिर्राज अंकित है। ग्राम पंचायत ने अपने प्रमाण पत्र में नरेन्द्र उर्फ बन्टू पुत्र गिर्राज होना प्रमाणित किया है व उक्त आराजी से प्रार्थीया का नाम बन्टू पुत्र गिर्राज के स्थान पर नरेन्द्र उर्फ बन्टू पुत्र गिर्राज शुद्व करने की सिफारिश की है। अतः प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि से प्रार्थी का नाम बन्टू पुत्र गिर्राज ना होकर नरेन्द्र उर्फ बन्टू पुत्र गिर्राज होना सावित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा–1956 साबित होने से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–::आदेश::–

उपखण्ड अधिकारी
कामां (डीग) राज०

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा–1956 साबित होने से स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 81 227, 228, 79/726, 87/729, 155, 156, 159, 198, 441, 451, 476, 491, 501, 512, 541, 556, 160, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 463, 167, 168, 168, 197, 201, 202, 492, 82, 83, ग्राम बहतूकलॉ तहसील कठूमर पर प्रार्थी का नाम बन्टू पुत्र गिर्राज के स्थान पर नरेन्द्र उर्फ बन्टू पुत्र गिर्राज जाति राजपूत दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार हाल जमाबन्दी में संशोधित इन्द्राज करे। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को बास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)